प्रपत्र : 1 कुल पृष्ठ – 8

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिला. चौकी,एसीबी, इन्टै. अजमेर .... थाना.सीपीएस, एसीबी, जयपुर वर्ष ... 2023...

प्र. इ. रि. स. ......40/2023........ दिनांक ....15/2/2023..

2. (अ) अधिनियम ... भ्र0 नि0 अधिनियम (सशोंधन) अधिनियम 2018 ......धारायें...7, 7 (ए) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018)

(ब) अधिनियम भारतीय दण्ड संहिता धारायें. ...... 384, 120बी भा.द.स.

(स) अधिनियम ....धारायें...

(द) अन्य अधिनियम एवं धारायें ....

3. (अ) रोजनामचा आम रपट सख्या ...272...समय..........6:00 P.M...

(ब) अपराध घटने का दिन–दिनांक 14.02.2023 समय 3.02 पी.एम. . ...
......

(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक 12.02.2023 समय.......12.45 पी.एम..

4. सूचना की किस्म :– लिखित/मौखिक – लिखित

5. घटनास्थल :–

(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी –एसीबी चौकी इन्टै. अजमेर से पश्चिम दिशा में करीब 10 किलोमीटर..............

(ब) पता – ईदगाह कॉलोनी, चौरसियावास रोड अजमेर

....बीट सख्या ....जरायमदेही सं...

(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो पुलिस थाना...जिला..................................

6 परिवादी/सूचनाकर्ता :–

(अ) नाम.... श्री अब्दुल खालिक ....
...

(ब) पिता का नाम श्री अब्दुल गनी...

(स) जन्म तिथि /वर्ष साल...............37 साल...

(द) राष्ट्रीयता.........भारतीय ....

(य) पासपोर्ट सख्या ....जारी होने की तिथी.......................................जारी होने की जगह........................

(र) व्यवसाय...... ....मजदूरी ....

(ल) पता ... गांव नला बाजार गर्ग मौहल्ला थाना क्लॉक टावर अजमेर..

7 ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :–

1. श्री विरेन्द्र वालिया पुत्र स्व. श्री हरवंशलाल वालिया उम्र 67 वर्ष, जाति पंजाबी निवासी– बी 42 अरावली विहार वैशाली नगर, पुलिस थाना किशचियनगंज अजमेर हाल पार्षद वार्ड नम्बर 79 नगर निगम अजमेर।
2. श्री रोशन पुत्र स्व. श्री नाथु जाति चीता उम्र 27 साल निवासी ईदगाह कॉलोनी चौरसियावास रोड अजमेर

8 परिवादी/ सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण :–कोई नही...
....

9. चुराई हुई / लिप्त सम्पति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित होतो अतिरिक्त पन्ना लगायें)

....20000 रू0 रिश्वत राशि...
...

10. चुराई हुई /लिप्त सम्पति का कुल मूल्य .... पंचनामा/ यू.डी. केस सख्या (अगर हो तो)..........................

....20000 रू. रिश्वत राशि ....
......

11 ....
....

विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये)

सेवामें श्रीमान उप अधीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो इन्टेलीजेंस यूनिट अजमेर विषयः– रिश्वत लेते हुआ को रंगे हाथ पकडवाने बाबत। महोदयजी, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मैं अब्दुल खालिक पुत्र श्री अब्दुल गनी जाति मुसलमान उम्र 37 वर्ष निवासी नला बाजार गर्ग मौल्लाहा क्लॉक टावर अजमेर का रहने वाला हूं। मैं पेशे से अजीम गेस्ट हाउस में कार्य करता हूं। मैंने भूखण्ड जिसकी पैमाइस 210 वर्ग गज है, जिसको मैंने करीब तीन चार माह पहले श्री रोशन चीता निवासी चौरसियावास से 4. 20 लाख रूपये में जरिये इकरारनामा बेचान से खरीद लिया था। यह कृषि भूमि है जिसका मूल खातेदार से श्री रोशन चीता ने पावर ऑफ अटॉर्नी से भूखण्ड करा काट कर बेचे थे। मैंने भूखण्ड खरीदने के बाद इसकी बाउन्ड्री वाल एवं एक कमरा निर्माण कार्य हेतु ठेकेदार श्री रविन्द्र पुत्र भागचन्द्र निवासी फॉयसागर रोड को ठेका दिया है। जिस पर रविन्द्र पिछले तीन माह से निर्माण कर रहा है। श्री विरेन्द्र वालिया इस क्षेत्र का

वार्ड पार्षद है। जो आये दिन मेरे भूखण्ड पर जाकर मेरे ठेकेदार को अवैध निर्माण बताकर निर्माण कार्य रूकवा देता है। तथा स्वयं वार्ड पार्षद होने के कारण कहता है कि मेरे बिना पुछे निर्माण कार्य कैसे कर लिए तथा निगम के अधिकारी एवं कर्मचारियों की धौस दिखाकर जे.सी.बी चलवाकर निर्माण कार्य ध्वस्त करवाने के धमका रहा है। तथा मेरे भूखण्ड पर निर्माण कार्य निर्बाध रूप से चलने देने की एवज में एवं पास ही साडू भाई जहांगीर के भूखण्ड पर निर्माण कार्य किया जा रहा है। प्रति भूखण्ड 25 हजार दोनों भूखण्ड के 50 हजार रुपये रिश्वत की मांग कर रहा है। श्री रविन्द्र को मौके पर निर्माण कार्य नहीं करने दिया जा रहा है। आज सुबह मेरे ठेकेदार भी रविन्द्र ने मुझे फोन कर बताया कि श्री विरेन्द्र वालिया वार्ड पार्षद का मेरे पास फोन आया तथा कहा कि मेरे कहने के बाद भी तुमने काम बंद नहीं किया। मैं तो जे.सी.बी. लेकर तोडने आ रहा था, पांच मिनट लगेगे। मेरे ठेकेदार ने कहा कि मैं ऑफिस ही आ रहा हूं। श्री विरेन्द्र वालिया वार्ड पार्षद 50000 रूपये रिश्वत राशि लिये बगैर मेरे खरीदशुदा भुखण्ड पर निर्माण कार्य नही करने दे रहा है। बार–बार मौके पर आकर रिश्वत नही देने पर परेशान किया जा रहा है। मैं मेरे ठेकेदार रविन्द्र को साथ लेकर आया हुं। श्री विरेन्द्र वालिया वार्ड न 79 से नगर निगम अजमेर से वार्ड पार्षद है। मैं मेरे जायज कार्य की एवज में ऐसे भष्ट पार्षद को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़वाना चाहता हूँ। पार्षद रिश्वत राशि संभवतः अपने दलाल रोशन चीता या पुना महाराज नामक व्यक्ति के माध्यम से ग्रहण करेगा। मैं श्री विरेन्द्र वालिया वार्ड पार्षद एवं दलालों को रिश्वत राशि नहीं देना चाहता हूँ। बल्कि ऐसे भ्रष्ट पार्षद एवं दलालों से रंगे हाथों गिरफतार करवाना चाहता है। मेरी श्री विरेन्द्र वालिया वार्ड पार्षद एवं दलाल रोशन चीता एवं पूना महाराज से कोई रंजिश नहीं है और किसी प्रकार का लेनदेन बकाया नहीं है रिपोर्ट करता हूँ कार्यवाही करे। दिनांक 12.02. 2023 एसडी हस्ताक्षर प्रार्थी अब्दुल खालिक पुत्र श्री अब्दुल गनी, जाति मुसलमान उम्र 37 वर्ष निवासी नला बाजार गर्ग मोहल्लाा, पुलिस थाना क्लॉक टावर अजमेर मोबाईल नम्बर 8005742941

कार्यवाही पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो इन्टैलीजेस यूनिट अजमेर दिनांक 12.02.2023 समय 12.45 पीएम उपरोक्त तहरीरी रिपोर्ट प्रार्थी श्री अब्दुल खालिक पुत्र भी अब्दुल गनी, जाति मुसलमान, उम्र 37 वर्ष निवासी नला बाजार गर्ग मोहल्ला थाना क्लॉक टॉवर अजमेर ने मय अपने ठेकेदार श्री रविन्द्र मंडोतिया पुत्र श्री भागचंद जाति रेगर उम्र 28 वर्ष निवासी म. 103 प्रेमनगर, फायसागर रोड अजमेर मोबाइल नं. 9828470488 के उपस्थित थाना होकर तहरीरी रिपोर्ट इस आशय की मुझ उप अधीक्षक को प्रस्तुत की। उक्त तहरीरी रिपोर्ट पर परिवादी मय सह परिवादी से दरियाप्त की गई तथा तहरीरी रिपोर्ट में अंकित तथ्यों को परिवादी एवं सह परिवादी को पढ़कर सुनाया तो सही होना बताया, तथा उक्त तहरीरी रिपोर्ट श्री रविन्द मंडोतिया की हस्तलिखित होना बताया। परिवादी श्री अब्दुल खालिक ने बताया कि मै पेशे से नला बाजार मे अजीम गेस्ट हाउस में काम करता हूं मैं पाँचवी तक पढ़ा लिखा हूँ। मैंने एक भू– खण्ड जिसकी पैमाइस 210 वर्ग है, जिसको मैंने रोशन चीता निवासी चौरसियावास से 3–4 माह पहले जरिये इकरार नामा बेचान से 4.20 लाख रुपये में खरीद किया था। इस भू–खण्ड पर मैंने बाउन्ड्री वाल व एक कमरा निर्माण हेतु श्री रविन्द मंडोतिया को ठेका दिया है। श्री रविन्द्र मंडोतिया पिछले 3 माह से मेरे भूखण्ड पर निर्माण कार्य कर रहे है। श्री रविन्द्र ठेकेदार ने मुझे पहले भी कई मर्तबा बताया कि क्षेत्र के वार्ड पार्षद श्री विरेन्द्र वालिया मौके पर आकर निर्माण कार्य रुकवा देते है और निर्माण कार्य को अवैध बताकर तोड़ने की धमकी देता है। तथा नगर निगम अजमेर के कर्मचारियों, अधिकारियों की धौंस दिखाकर मौके पर जे. सी.बी. से निर्माण कार्य तुड़वाने की धमकी देता है। तथा मेरे भूखण्ड पर निर्माण कार्य को निर्बाध रुप से चलने देने की एवज में एवं मेरे भूखंड के बगल मे ही मेरे साडू भाई जहांगीर के निर्माण कार्य को चलने देने की एवज में दोनों प्लॉटों के 50000 रूपये (पचास हजार) रुपये रिश्वत की मांग कर रहा है। तथा मौके पर निर्माण कार्य नहीं करने दिया जा रहा है। आज सुबह मेरे ठेकेदार श्री रविन्द्र ने मुझे फोन कर बताया कि वार्ड पार्षद भी विरेन्द्र वालिया का मेरे मोबाइल नं. 9828470488 पर फोन आया, वार्ड पार्षद श्री विरेन्द्र वालिया के मो.नं. 9928291590 है। तथा कहा कि मेरे कहने के बाद भी तुमने काम बंद नहीं किया है मैं तो जे.सी.बी. लेकर तोड़ने आ रहा था, पाँच मिनट लगेंगे।

ठेकेदार श्री रविन्द्र मंडोतिया ने कहा कि मै ऑफिस आकर मिलता हूं। कार्यालय में उपस्थित श्री रविन्द्र मंडोतिया ठेकेदार से पूछताछ की तो बताया कि, श्री अब्दुल खालिक और श्री जहांगीर के भूखण्डों पर मेरे द्वारा ही निर्माण कार्य किया जा रहा है। श्री विरेन्द्र वालिया कई बार मेरी साइड पर आकर काम रुकवा दिया, तथा दोनों भूखण्डों पर निर्माण कार्य चलने देने की एवज में 50000 रूपये रिश्वत की मांग कर रहा है। यह बात मैंने श्री अब्दुल खालिक को कई मर्तबा बताई। आज सुबह श्री विरेन्द्र वालिया ने अपने मोबाईल नं. 9928291590 से मेरे मोबाइल नम्बर 9828470488 पर फोन कर कहा कि मेरे कहने के बाद भी तुमने काम बंद नहीं किया, मैं जे. सी. बी. लेकर आ रहा था, तब मैंने श्री विरेन्द्र वालिया को ऑफिस आकर बात करने की कही। विरेन्द्र वालिया एवं मेरे मोबाइल पर हुई वार्ता मेरे मोबाइल में रिकार्डिंग है, जिसको सुना गया तो परिवादी सहपरिवादी की बात ताईद हुई। अब्दुल खालिक बताया कि यह कृषि भूमि है, तथा मूल खातदार से श्री रोशन चीता ने जरिये पावर ऑफ अटॉर्नी से भूखण्ड काटकर बेचान किये गये है। मेरे ठेकेदार के पास श्री रोशन चीता के भी बार-बार फोन आ रहे हैं। मैं मेरे जायज कार्य की एवज में वार्ड पार्षद श्री विरेन्द्र वालिया एवं दलाल रोशन चीता एवं श्री पुना महाराज को किसी प्रकार की रिश्वत राशि नहीं देना चाहता है बल्कि ऐसे भ्रष्ट वार्ड पार्षद एवं दलालों को रंगे हाथ गिरफ्तार करवाना चाहता हूँ। मेरी श्री विरेन्द्र वालिया वार्ड पार्षद, दलाल रोशन चीता एवं पुना महाराज नामक व्यक्ति से कोई रंजिश नहीं है और न ही किसी प्रकार का लेन-देन बकाया है। आज मैं आपको मेरे आधार कार्ड की फोटो प्रतियां एवं इकरारनामा बेचान की फोटो प्रतियाँ स्व हस्ताक्षरित प्रस्तुत कर रहा हूं। मजमून तहरीरी रिपोर्ट एवं दरियाप्त से मामला रिश्वत राशि मांग का पाया गया। जिसपर कार्यालय के श्री अर्जुनलाल कानि. बैल्ट नम्बर नं. 244 को मन उप अधीक्षक द्वारा अपने कार्यालय कक्ष में बुलाया तथा उपस्थित परिवादी श्री अब्दुल खालिक एवं ठेकेदार श्री रविन्द्र मंडोतिया से आपस में परिचय करवाया गया। तथा कार्यालय की अलमारी से डिजीटल वॉईस रिकार्डर एवं एक नया मैमोरी कार्ड 32 जीबी सेण्डडिस्क निकलवाया गया। परिवादी को डिजीटल वॉईस रिकार्डर को चालू व बंद करने की प्रकिया समझाई गइ। 32 जी. बी. मैमोरी कार्ड का खाली होना सुनिश्चित किया गया। मैमोरी कार्ड को डिजीटल वॉईस रिकार्डर में डाला गया। श्री अर्जुनलाल कानि को निर्देशित किया कि, परिवादी एवं संदिग्ध अधिकारी, वार्ड पार्षद के मध्य होने वाली वार्ता को सुनने व देखने का प्रयास करे। कानि० को निर्देशित किया कि संदिग्ध वार्ड पाषद एवं अन्य दलालों के मध्य वार्ता से पूर्व डिजीटल वॉईस रिकार्डर चालु कर परिवादी को सुपुर्द करे। कानिस्टेबल अर्जुन लाल एव परिवादी को डिजीटल वॉईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड लगा हुआ जरिये फर्द सुपुर्दगी सुपुर्द किया गया। समय 3.20 पीएम पर कानि. श्री अर्जुनलाल एवं परिवादी अब्दुल खालिक एवं रविन्द्र मंडोतिया को रिश्वत राशि मांग सत्यापन हेतु मोटरसाईकिलों से अजमेर शहर के लिए रवाना किया। समय करीब 5.15 पीएम पर कानिस्टेबल अर्जुनलाल व परिवादीगण कार्यालय में आये तथा वॉईस रिकार्डर मन उप अधीक्षक पुलिस को सुपुर्द कर बताया कि रवाना होकर हम ईदगाह चौराहे पर पहुँचे वहाँ पर श्री अब्दल खालिक ने अपने फोन में श्री रोशन चीता से वार्ता की। उसने श्री विरेन्द्र वालिया वार्ड पार्षद से मिलाने का समय 4.0 पीएम का दिया। इसके बाद हम तीनों परिवादी के प्लॉट पर चले गये वहां रोशन का इंतजार किया। वहां पर रोशन अचानक ही मोटरसाईकिल लेकर आ गया तो परिवादी को रिकार्डर चालु कर नहीं दे सका। इसके बाद रोशन ने कहा कि विरेन्द्र वालिया के पास चलते है इसी समय परिवादी मेरे पास आया जिस पर मैंने उसको रिकार्डर चालु कर दिया। इसके बाद रोशन, परिवादीगण को विरेन्द्र वालिया से मिलाने ले गया। मैं भी परिवादी के पिछे पिछे मोटरसाईकिल से गया। वहां पर विरेन्द्र वालिया अपने प्लॉटिंग के पास ही रोड पर अपनी एक्टिवा लेकर खडा दिखा। परिवादी एवं सह परिवादी की रोशन ने वालिया से बातचीत करवाई। इसके बाद श्री विरेन्द्र वालिया अपनी एक्टिवा लेकर थोडी दूर पर खडा हो गया। परिवादी गण, विरेन्द्र वालिया, रोशन, पुना महाराज के मध्य हो रही वार्ता को थोडी दूरी से अपनी उपस्थित छुपाते हुए देख रहा था। थोडी देर बाद परिवादी मेरे पास आया मैंने रिकार्डर लेकर बंद किया और रवाना होकर कार्यालय के पास पहुंचे कि रोशन चीता का परिवादी के मोबाईल पर फोन आया जिस पर मैंने मोबाईल का स्पीकर ऑन करवाकर दोनों के

मध्य होने वाली वार्ता को रिकोर्ड किया। मांग सत्यापन के संबंध में रिकार्ड हुई वार्ताओं के संबंध में परिवादीगण ने ताईद की। तत्पश्चात मन उप अधीक्षक पुलिस ने मांग सत्यापन वार्ता को सुना रिश्वत राशि मांग का सत्यापन होना पाया गया। जिसमें 40000 रूपये वार्ड पार्षद श्री विरेन्द्र वालिया एवं 10000 रूपये पुनाराम महाराज नामक प्राईवेट व्यक्ति को देना तय हुआ। आरोपी रोशन चीता एवं परिवादीगण के मध्य मोबाईल पर हुई वार्ता के अनुसार आरोपी 20000 रूपये रिश्वत राशि दिनांक 12.02.2023 को ही लेना चाह रहा है। जिस पर परिवादी को रिश्वत राशि की व्यवस्था कर दिनांक 13.02.2023 को 9 एएम पर उपस्थित आने हेतु पाबंद कर रूकसत किया। डिजीटल वॉईस रिकोर्डर को मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा सुरक्षित रखा। दिनांक 13.02.2023 को कार्यालय प्रादेशिक परिवहन अधिकारी अजमेर से दो गवाह श्री तरूण शर्मा सुचना सहायक, श्री अंकित कुमार बालम, सहायक प्रोग्रामर हस्ब तलविदा उपस्थित आये। समय 11.00 एएम पर परिवादीगण भी उपस्थित आये। दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादीगण का आपस में परिचय करवाया। दोनों गवाहान को परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पढवाया तथा रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता के मुख्य मुख्य अंश सुनवाये जाकर ट्रैप कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने बाबत सहमति प्राप्त की गई। इसके बाद परिवादी श्री अब्दुल खालिक को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने की कहने पर परिवादी ने अपने पास से 2000 रूपये का एक नोट व 500–500 रूपये के छत्तीस नोट कुल 20000 हजार रूपये प्रस्तुत किये। नोटों पर कार्यालय के मनफूल कानि. नं. 403 से फिनोफथलीन पाउडर लगवाया जाकर परिवादी अब्दुल खालिक की पहनी हुई जीन्स पेन्ट की दाहिनीं जेब में रखवाये गये। परिवादी व गवाहान तथा स्टाफ के सभी सदस्यों को दृष्टांत देकर फिनोफथलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रसायनिक प्रकिया समझाई गई। उक्त कार्यवाही की फर्द पृथक से तैयार कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके बाद सहपरिवादी श्री रविन्द्र से आरोपी दलाल श्री रोशन चीता के मोबाईल पर फोन मिला कर उसकी लॉकेशन की जानकारी करनी चाही तो आरोपी रोशन चीता ने फोन रिसीव नहीं किया। कुछ समय बाद आरोपी रोशन चीता का सहपरिवादी रविन्द्र के फोन पर कॉल आई और कहा कि आज मैं बाहर हूं कल 11 बजे आउंगा। इस पर दिनांक 14.02.2023 को ट्रैप कार्यवाही का आयोजन किया जाना निश्चित कर परिवादी की जेब में रखवाई गई रिश्वत राशि बीस हजार रूपये मनफूल कानि. से निकलवाकर एक लिफाफे में रखवाकर सुरक्षित रखी गई। परिवादी व गवाहान को गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत कर रूकसत किया गया। दिनांक 14.02.2023 को समय 11.00 एएम पर परिवादी व स्वतंत्र गवाह उपस्थित आये। सहपरिवादी रविन्द्र के मोबाईल पर आरोपी रोशन चीता के मोबाईल से समय करीब 1.37 पीएम पर फोन आया व परिवादीगण को रिश्वत राशि लेकर बुलाया। जिस पर समय करीब 2.15 पीएम पर मन उप अधीक्षक पुलिस, श्रीमती कंचन भाटी पुलिस निरीक्षक, परिवादीगण, दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं ट्रैप पार्टी सदस्य श्री रामचन्द्र हैड कानि., श्री अर्जुनलाल कानि., श्री हुकमाराम कानि., श्री रविन्द्रसिंह कानि., श्री संदेश कुमार कनिष्ठ सहायक, मय प्राईवेट वाहन, मोटरसाईकिलों मय ट्रैप बॉक्स, प्रिन्टर, लैपटॉप के एसीबी कार्यालय इन्टै. अजमेर से रवाना होकर वैशालीनगर पहुंचे व आरोपी रोशन को पुनः सहपरिवादी रविन्द्र के मोबाईल से फोन किया गया तो आरोपी रोशन ने परिवादीगण को अपने घर ईदगाह कॉलोनी में बुलाया। जिस पर रवाना हो ईदगाह कॉलोनी गेट के पास स्थित आरोपी श्री रोशन के निवास के पास पहुंचे व परिवादी को डिजिटल वॉईस रिकोर्डर चालु कर सुपुर्द कर आरोपी रोशन के निवास पर बनी हुई दुकान पर रिश्वत राशि देने हेतु रवाना किया। परिवादीगण के पिछे पिछे रामचन्द्र हैड कानि, हुकमाराम कानि. को प्राईवेट मोटरसाईकिल से रवाना कर मन उप अधीक्षक पुलिस पारसमल मय गवाहान मय स्टाफ के प्राईवेट वाहनों में ही बैठे बैठे उक्त दुकान पर नजर रखते हुए परिवादी के निर्धारित ईशारे के इंतजार में मुकिम हुए। समय 3.02 पीएम पर रामचन्द्र हैड कानि. ने मन उप अधीक्षक पुलिस को फोन कर रिश्वत राशि प्राप्ति का निर्धारित इशारा किया जिस पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान के उक्त दुकान पर पहुंचा जहां पर परिवादीगण, एक अन्य व्यक्ति तथा रामचन्द्र हैड कानि , हुकमाराम कानि. खडे हुए मिले। परिवादी से डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर प्राप्त कर बंद किया। परिवादी ने एक काली टी–शर्ट, काले रंग का पजामा

पहने हुए व्यक्ति की ओर इशारा कर बताया कि "यही रोशन है जिसने अभी– अभी रिश्वत राशि बीस हजार रूपये अपने हाथ में लेकर गिन कर अपने पहने हुए पजामे की बांयी जेब में रख लिये है, इसके बाद इसने पुनाराम महाराज से बात की और कहा कि , रोशन ने मेरे को बीस हजार रूपये दे दिये है तो उसने कहां कि नरेश की डेयरी पर दे दे। इसके बाद इसने पार्षद विरेन्द्र वालिया से बात कि तो उसने कहा कि मैं अभी दफतर में हूं। इसके बाद मेरे पास ही खडे रामचन्द्र जी को देख कर बालों में हाथ फेरकर इशारा कर दिया।" इस पर परिवादी के पास बैठे व्यक्ति को मन उप अधीक्षक पुलिस ने अपना परिचय देकर उससे उसका परिचय पूछा तो उसने अपना नाम रोशन पुत्र स्व. श्री नाथु जाति चीता उम्र 27 साल निवासी ईदगाह कॉलोनी चौरसियावास रोड अजमेर मोबाईल नम्बर 9929005317 होना बताया। इस पर श्री रोशन को परिवादी की ओर इशारा कर पूछा कि अभी आपने इससे बीस हजार रूपये रिश्वत राशि ली है क्या ? ली है तो किस बात की ली है ? इस पर श्री रोशन ने बताया कि "साहब गलती हो गई, मुझे माफ कर दो मेरे छोटे–छोटे बच्चे है। श्री विरेन्द्र वालिया पार्षद एवं उनके आदमी श्री पुनाराम महाराज के कहे अनुसार अब्दुल खालिक के मकान के निर्माण में बाधा नहीं पहुंचाने व काम नहीं रूकवाने की एवज में 50 हजार रूपये के लिए कहा था जिसमें से अभी इसने बीस हजार रूपये दिये है जो पार्षद विरेन्द्र वालिया को देने है। उक्त रूपये देने के लिए मैने अभी पुनाराम महाराज से बात की तो उसने नरेश की डेयरी पर देने के लिए कहा और विरेन्द्र वालिया पार्षद ने कहा कि मैं अभी दफतर में हूं। विरेन्द्र वालिया पार्षद की मांग अनुसार उक्त रूपये मैं उनके कहे अनुसार नरेश की डेयरी पर देने जा ही रहा था कि आप आ गये। मेरे से गलती हो गई रूपये मेरे पजामे की जेब में रखे हुए है आप वापस ले लो।" इसके बाद उक्त स्थान आम रास्ता के पास होने एवं गोपनीयता भंग होने की सम्भावना होने से उक्त श्री रोशन को मन उप अधीक्षक पुलिस ने अपनी प्राईवेट कार में मय जाप्ता रामचन्द्र हैड कानि. व अर्जुन कानि. के साथ बिठाया। इसी दौरान आरोपी रोशन के मोबाईल पर आरोपी विरेन्द्र वालिया पार्षद का बार–बार फोन आ रहा था। आरोपी रोशन को आरोपी विरेन्द्र वालिया से फोन पर बात करने के लिए कहा तो आरोपी रोशन ने कहा कि, "मैं उनका फोन नहीं उठाउंगा, उसे आपकी कार्यवाही का पता लग गया तो वो और उसके दस बीस लठैत मुझे नहीं छोडेंगे। मुझे पता है आप मुझे नहीं छोडोंगे इसलिए मैं उनको अब बात करके रिश्वत नहीं दूंगा। विरेन्द्र वालिया ने मुझे पहले ही कहा था कि तू अब्दुल खालिक से 50 हजार रूपये लेकर मेरे आदमी पुनाराम से बात कर लेना ओर वो कहे जहां दे देना मैं वहां से ले लूंगा। अभी मैने पुनाराम महाराज को बीस हजार रूपये आने की बात बता दी है और उसने नरेश की डेयरी पर देने के लिए कहा जो मेरे घर से मात्र एक किलोमीटर दूर ही है और मैने अभी तक वहां पर रूपये नहीं दिये इस बात को लेकर विरेन्द्र वालिया फोन कर रहा है, परन्तु मुझे उससे डर लगता है मैं बात नहीं करूंगा भले ही मैं दस–पन्द्रहा दिन जेल रह जाउंगा।" इसके बाद आरोपी रोशन को लेकर मन उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान के ईदगाह कॉलोनी से रवाना होकर मैन रोड पर पहुंच आरोपी विरेन्द्र वालिया की लॉकेशन ली तो आरोपी विरेन्द्र वालिया की लॉकेशन अरावली विहार वैशाली नगर आयी जो पास ही है अतः मन उप अधीक्षक पुलिस आमदा अन्य टीम प्रभारी श्री प्रभुलाल उप अधीक्षक पुलिस मय जाप्ता मय सरकारी वाहन के उक्त स्थान पर उपस्थित है जिन्हें आरोपी रोशन को सम्भलाया गया एवं मन उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान प्राईवेट वाहनों के आरोपी विरेन्द्र वालिया की तलाश हेतु अरावली विहार वैशाली नगर की ओर रवाना हुआ कि कुछ ही दूरी पर पहुंचा कि परिवादी ने फोन कर बताया कि विरेन्द्र वालिया पार्षद अभी अभी मेरे को क्रॉस हुआ है स्कूटी पर घर जा रहा है, इस पर आगे आगे चल रहे अर्जुन कानि., हुकमाराम कानि. व श्रीमती कंचन भाटी निरीक्षक पुलिस को उसे रोकने हेतु कहा जिन्होंने परिवादी की निशादेही से एक बुजुर्ग हष्टपुष्ट व्यक्ति को स्कूटी सहित रोक रखा है। मन उप अधीक्षक पुलिस उक्त व्यक्ति के पास पहुंचा और अपना परिचय देकर आने का प्रयोजन बताकर उससे उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम विरेन्द्र वालिया बताया, जिस पर श्री विरेन्द्र वालिया को पूछताछ हेतु पुलिस थाना क्रिश्चियनगंज पर लेकर आने हेतु श्रीमती कंचन भाटी निरीक्षक पुलिस को निर्देशित किया और मन उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान के रवाना हो उप अधीक्षक पुलिस

श्री प्रभुलाल के पास पहुंचा व आरोपी रोशन को साथ लेकर पुलिस थाना क्रिश्चियनगंज के लिए रवाना हुआ। इस समय पुलिस थाना क्रिश्चियनगंज पहुंच थानाधिकारी श्री करणसिंह से ट्रैप कार्यवाही करने हेतु स्थान उपलब्ध कराने हेतु कहा जिन्होंने एक खाली कक्ष उपलब्ध करवाया जिसमें बैठकर कार्यवाही प्रारम्भ की गई। ट्रैप बॉक्स से दो साफ कांच के गिलास निकलवा कर पुनः साफ पानी से धुलवाकर पुलिस थाने से साफ पानी मंगवाकर दोनों गिलासों में पानी भरकर एक–एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर गवाहान को दिखाया गया तो सभी ने रंगहीन होना बताया। उक्त दोनों गिलासों के घोल में आरोपी रोशन के क्रमशः दाहिने व बायें हाथ की अंगुलियों व अंगूठे को बारी–बारी से डूबोकर धुलवाया गया तो दोनों हाथों के धोवन का रंग गुलाबी हो गया जिसे हाजरीन ने भी गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त धोवन को चार साफ कांच की शिशियों में आधा आधा भरकर दाहिनें हाथ के धोवन को मार्क आरएच–1, आरएच–2 एवं बायें हाथ के धोवन को मार्क एलएच–1, एलएच–2 अंकित कर शिशियों को शिल्डचिट कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे एसीबी ली गई। इसके बाद आरोपी श्री रोशन की निशादेही से उसके पहने हुए पायजामे की बांयीं जेब की तलाशी गवाह श्री तरूण शर्मा से लिवाही गई तो 2 हजार रूपये का एक नोट, 500–500 रूपये के नोट निकाले जिनको दोनों गवाहान को पूर्व में तैयार की गई फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट में अंकित नोटों के नम्बरों से मिलान करने की कहने पर दोनों गवाहान ने नोटों को गिनकर दो हजार रूपये का एक नोट व 500–500 रूपये के छत्तीस नोट कुल 20,000 रूपये होना व नोटों के नम्बर हूबहू होना बताया। उक्त नोटों को एक पीले रंग के कागज के लिफाफे में डालकर शिल्डचिट कर मार्क एन अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर कराकर कब्जे एसीबी लिये गये। इसके बाद उपस्थित श्री विरेन्द्र वालिया पार्षद से पूरा परिचय प्राप्त किया तो अपना नाम पता विरेन्द्र वालिया पुत्र स्व. श्री हरवंशलाल वालिया उम्र 67 वर्ष, जाति पंजाबी निवासी– बी 42 अरावली विहार वैशाली नगर, पुलिस थाना क्रिश्चियनगंज अजमेर मोबाईल नम्बर 9928291590 हाल पार्षद वार्ड नम्बर 79 नगर निगम अजमेर होना बताया। श्री विरेन्द्र वालिया पार्षद को आरोपी रोशन के मार्फत परिवादी श्री अब्दुल खालिक से उसके मकान के निर्माण कार्य को निर्बाध रूप से चलने देने व काम नहीं रूकवाने की एवज में दिनांक 12.02.2023 को पचास हजार रूपये रिश्वत राशि मांग कर आज दिनांक 14.02.2023 को बीस हजार रूपये रिश्वत राशि प्राप्त करने के संबंध में पूछा गया तो श्री विरेन्द्र वालिया ने बताया कि " दिनांक 12.02.2023 को फ्रेन्ड कॉलोनी में नगर निगम की रोड का काम चल रहा था वहां मैं शाम को काम देखने गया था तभी वहां पर पुनाराम महाराज बुथ अध्यक्ष बीजेपी आये थे। उनके पास चार पांच जने खडे थे तब मैंने पुनाराम महाराज को खुद का काम बंद कराने का कहा था, फिर परिवादी की ओर देखकर कहा कि मैने इनको सरकारी जमीन पर काम नहीं करने के लिए कहा था। फिर कहा कि मैं इनको नहीं जानता हूं नाही इनसे मिला हूं, मेरे नाम से कोई पैसे ले रहा है तो मैं क्या करू, इनके द्वारा सरकारी जमीनें बेची जा रही है। मैंने एडीए में नाहर की नाडी में अतिक्रमण के संबंध में पूर्व में शिकायत की थी।" इस पर श्री विरेन्द्र वालिया को सह परिवादी रविन्द्र की ओर ईशारा कर पूछा कि आप इसे जानते हो इस पर विरेन्द्र वालिया ने कहा कि मैं इन दोनों को नहीं जानता हूं। इस पर पुनः पूछा कि आपने दिनांक 12.02.2023 , दिनांक 13.02.2023 को रविन्द्र के मोबाईल पर फोन पर बात की है इस पर श्री विरेन्द्र वालिया ने कहा कि इसका मिस कॉल आया था तो मैंने वापस फोन कर पूछा की कौन हो भाई, इसके अलावा मेरी कोई बात नहीं हुई। इस पर सह परिवादी रविन्द्र के मोबाईल नम्बर 9828470488 से विरेन्द्र वालिया के मोबाईल नम्बर 9928291590 पर दिनांक 12.02.2023 को समय 9.22 एएम पर हुई वार्ता की रविन्द्र के मोबाईल में हुई रिकोर्डिंग सुनाई गई तो विरेन्द्र वालिया ने बताया कि कुछ दिन पूर्व मैं नगर निगम के सर्वे वालों के साथ नाडी की पाल का सर्वे करने गया था उस दिन यह रविन्द्र सरकारी जमीन पर निर्माण कर रहा था तब मैंने इनको काम रोकने के लिए कहा था इसी सिलसिले में मेरी दिनांक 12.02.2023 को मेरी यह बात हुई है और मैंने काम रोकने के लिए कहा था तब इसने कहा कि पुनाराम महाराज व रोशन से बात हो गई है आपके पास ही आ रहे है। तब मैंने सोचा कि इनकी जमीन के कोई वैध कागज होंगे जो लेकर आ रहे होंगे। इसके बाद विरेन्द्र वालिया को दिनांक 12.02.2023

को वक्त सत्यापन हुई वार्ता सुना कर उसके संबंध में पूछा तो रिकोर्ड वार्ता में एक आवाज अपनी होना बताते हुए कहा कि मेरी पुनाराम महाराज के साथ बात हुई थी यह बात कैसे रिकोर्ड हुई मुझे पता नहीं है, परन्तु बात मेरी ही है। मैंने केवल काम रोकने के लिए कहा था मैने कोई पैसे नहीं मांगे। पुनाराम महाराज व रोशन ने मेरे नाम से पैसे मांगे हो या लिये हो तो मेरी जानकारी में नहीं है। रोशन को बार–बार फोन करने के संबंध में पूछा तो कहा कि मैं रोशन को इसलिए फोन कर रहा था क्योंकि ईदगाह रोड पर काम करवाना था। इस पर आरोपी रोशन को पूछा तो आरोपी रोशन ने बताया कि दिनांक 12.02.2023 को मैं अब्दुल खालिक, रविन्द्र को लेकर पुनाराम महाराज के पास गया और पुनाराम महाराज टेलीफोन पर बात कर हम सबको विरेन्द्र वालिया पार्षद के पास लेकर गये, तब हमारी आपस में बात हुई थी। पार्षद साहब ने रूपयों की बात के संबंध में महाराज की ओर ईशारा कर कहा कि इन्होंने बता दिया है जो भी है। इस पर महाराज ने मेरे को पच्चास हजार रूपये पार्षद साहब को देने के लिए कहा और कहा कि रूपये तुम्हारे से नहीं लेंगे मैं ही दूंगा। यही बात मैने अब्दुल खालिक व रविन्द्र को बताई थी। आज अभी इन्होंने बीस हजार रूपये दिये जिसकी जानकारी मैने फोन पर पुनाराम महाराज को बता दी जिन्होंने नरेश की डेयरी पर देने के लिए कहा। नरेश की डेयरी पर मैने पैसे नहीं दिये इसलिए मुझे फोन कर रहे थे, परन्तु मैं आपके साथ था इसलिए फोन नहीं उठाया। इस पर पुनः श्री विरेन्द्र वालिया को आरोपी रोशन के उक्त कथन के संबंध में पूछा तो बताया कि मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। इस पर आरोपी श्री विरेन्द्र वालिया का मोबाईल फोन लेकर अवलोकन किया गया तो मोबाईल के कॉल लॉग में समय 3.02 पीएम पर आरोपी रोशन से 15 सेकेण्ड बात होना, समय 3.19 व 3.27 पीएम पर आरोपी रोशन को कॉल करना परन्तु उसके द्वारा फोन नहीं उठाना पाया गया। आरोपी रोशन से हुई वार्ता रिकोर्ड होना नहीं पाया गया। पुनाराम महाराज से आज दिनांक 14.02.2023 को 9.41 एएम, 1.58 पीएम, 3.04 पीएम, 3.14 पीएम, 3.15 पीएम, 3.29 पीएम पर वार्ता होना पाया गया। उक्त वार्ताओं की रिकोर्डिंग को सुना गया तो क्रमशः पुनाराम महाराज द्वारा यह कहना है कि वो कल बाहर गया हुआ था आज आयेगा आज होगा काम। इसके बाद पुनाराम महाराज द्वारा कहना है कि अभी तक आया नहीं, आते ही फोन कर दूंगा। इसके बाद समय 3.04 पीएम पर पुनाराम महाराज द्वारा कहा जाता है कि 5–7 मिनट में डेयरी पर पहुंच जायेगा नरेश को फोन कर दो। इसके बाद में आरोपी विरेन्द्र वालिया द्वारा बोला जाता है कि नरेश डेयरी पर ही है और आवाज नहीं आ रही यह कहते हुए पुनाराम महाराज से झूठ बोला जाता है कि मैं पुष्कर हूं। इसके बाद आरोपी विरेन्द्र वालिया द्वारा 3.07 पीएम पर मोबाईल नम्बर 8890146677 हरीश डेयरी के नाम से सेव नम्बर पर फोन कर कहा जाता है कि पांच मिनट डेयरी पर जाना। समय 3.22 पीएम पर हरीश डेयरी (नरेश) को फोन कर कहता है कि हां...... इस पर हरीश (नरेश) कहता है कि भाई साहब मैं डेयरी पर ही हूं। समय 3.25 पीएम पर आरोपी द्वारा हरीश (नरेश) को फोन कर कहा जाता है कि तू दूकान बंद कर तुरन्त निकल जा। इस प्रकार आरोपी कॉल लॉग अनुसार उपरोक्तानुसार वार्तायें होकर फोन मैमोरी में रिकोर्ड होना पाई गई जिनके विश्लेषण से पाया गया कि आरोपी विरेन्द्र वालिया ने पुनाराम महाराज के कहे अनुसार हरीश (नरेश) को डेयरी पर भेजना व कुछ समय तक डेयरी पर रूपये नहीं पहुंचने पर व आरोपी रोशन द्वारा फोन रिसीव नहीं करने पर हरीश (नरेश) को डेयरी बंद कर तुरन्त निकल जाने के लिए कहना यह साबित करता है कि आरोपी विरेन्द्र वालिया रिश्वत राशि लेने के प्रति बहुत सजग व चालाक है तथा शंका हो जाने से फोन पर हरीश (नरेश) को तुरन्त निकल जाने की कहते हुए स्वयं भी डेयरी के पास से स्कूटी लेकर निकल गया। आरोपी का उक्त मोबाईल को कब्जे एसीबी लिया गया। इसके बाद आरोपी श्री रोशन के लिए पहनने के लिए अन्य पजामे की व्यवस्था कर मंगवाया गया तथा पहना हुआ पजामा को उतरवा कर उक्त पजामे की बायी जेब जिसमे से रिश्वत राशि बरामद हुई थी उक्त जेब को उलटवाकर सोडियम कार्बोनेट पाउडर के रंगहीन घोल में डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया जिसे दो साफ कांच की शिशियों में आधा–आधा भरकर सिल्ड चिट कर मार्क पी–1 व पी–2 अंकित कर सम्बधित के हस्ताक्षर करवा कर कब्जे एसीबी ली गई। बरंग काला जिसमें ग्रे कलर की पट्टी है तथा पूमा कम्पनी का लोगो

लगा होकर अंग्रेजी में एससीएलआईडीईआरआईए एवं एफईआरआरएआरआई सफेद अक्षरो में लिखा हुआ है। उक्त पजामें की ग्रे पट्टी पर सम्बधित के हस्ताक्षर करवाये तथा पजामे को एक सफेद कपडे की थेली मे डालकर सील कर शिल्ड कर सम्बधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क– पी अकिंत कर कब्जे एसीबी लिया गया। आरोपी रोशन के मोबाईल से परिवादीगण व आरोपी विरेन्द्र वालिया से वार्ताएं होना कॉल लॉग में आया है अतः उक्त मोबाईल की कॉल लॉग का विश्लेषण करने हेतु उक्त मोबाईल को कब्जे एसीबी लिया गया। डिजिटल वाईस रिकार्डर को चला कर सुना गया तो रिश्वत राशि लेन–देन के समय की वार्ता तकनीकी कारणों से रिकार्ड नहीं होना पाया गया। श्री पूनाराम महाराज जिसके मोबाईल नम्बर 9413693187 होना पाया गया उक्त नम्बर पर मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा फोन मिलाकर तलब करना चाहा तो उक्त श्री पूनाराम द्वारा फोन रिसिव नहीं किया। अतः श्री पूनाराम की आईन्दा तलबी कर उसकी भूमिका के सम्बधं में पृथक से जांच की जायेगी। आरोपी श्री विरेन्द्र वालिया वार्ड पार्षद व आरोपी श्री रोशन चीता को जरिये फर्द पृथक पृथक गिरफतार किया। फर्द बरामदगी एवं हाथ धुलाई तैयार की जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। दिनांक 15.02.2023 को रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 12.02.2023 की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की जाकर उक्त वार्ता की कुल पांच सीडियां तैयार की जाकर मूल मैमोरी कार्ड को सफेद कपडे की थैली में शिल्ड कर मार्क एसडी–1 दिया जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। एक सीडी को कपडे की थैली में रखकर शिल्डचिट कर मार्क ए– 1 अंकित कर न्यायालय हेतु सुरक्षित रखी गई। आरोपीगण व आईओ की सीडी को कागज के अलग अलग लिफाफों में रखी गई। सहपरिवादी रविन्द्र के मोबाईल में रिकोर्ड वार्ताओं की ट्रांसक्रिप्ट तैयार की गई एवं कम्प्यूटर की सहायता से सीडियां तैयार की जाकर एक सीडी को सफेद कपडे की थैली में शिल्डचिट कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। आरोपीगण व आईओ की सीडी को कागज के अलग अलग लिफाफों में रखी गई। आरोपी रोशन चीता व आरोपी श्री विरेन्द्र वालिया के मोबाईल की कॉल लॉग का विवरण प्रिन्ट लेकर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे एसीबी लिये गये। आरोपी विरेन्द्र वालिया के मोबाईल में रिकोर्ड वाताओं की सीडियां तैयार की जाकर एक सीडी को कपडे की थैली में शिल्ड कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे एसीबी ली गई। आरोपीगण व आईओ की सीडी को कागज के अलग अलग लिफाफों में रखी गई। घटना स्थल पहुंच कर फर्द मौका नक्शा तैयार किया गया।

उपरोक्त तथ्यों, फर्द ट्रासक्रिप्ट रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता एवं सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही से आरोपी श्री विरेन्द्र वालिया पार्षद वार्ड नम्बर 79 नगर निगम अजमेर द्वारा परिवादी श्री अब्दुल खालिक उर्फ मुन्ना के द्वारा उसकी खरीद शुदा कृषि भूमि पर बनाये जा रहे मकान को अवैध बताकर नगर निगम की जेसीबी बुलाकर तुडवाने की धमकी देकर आरोपी श्री रोशन प्राईवेट व्यक्ति के मार्फत 50,000 रूपये रिश्वत राशि मांग करना व आरोपी श्री रोशन के मार्फत आज दिनांक 14.02.2023 को 20,000 रूपये रिश्वत राशि प्राप्त कर प्राईवेट व्यक्ति श्री पूनाराम महाराज के मार्फत उक्त राशि नरेश डेयरी वाले को दिलवाने का प्रयास करना तथा आरोपी श्री रोशन चीता प्राईवेट व्यक्ति द्वारा आरोपी श्री विरेन्द्र वालिया पार्षद के लिए 50,000 रूपये रिश्वत राशि की मांग करना व मांग के अनुसरण में आज दिनांक 14.02.2023 को 20,000 रिश्वत राशि प्राप्त करना जो रिश्वत राशि आरोपी श्री रोशन चीता की पहने हुये पजामे के बायी जेब से बरामद होना आरोपीगण का उक्त कृत्य जुर्म धारा 7, 7ए पीसी एक्ट 1988 (संशोधित 2018) व धारा 384,120बी आईपीसी का पाया जाने से बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कता की जाकर वास्ते कमांकन श्रीमान महानिदेशक भ्र.नि.ब्यूरो राजस्थान जयपुर की सेवामें प्रेषित है।

(पारसमल)
उप अधीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
इन्टै., अजमेर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री पारसमल, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, ईन्टें., अजमेर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 384, 120बी भादंसं में आरोपीगण श्री विरेन्द्र वालिया हाल पार्षद, वार्ड नम्बर 79, नगर निगम अजमेर एवं श्री रोशन पुत्र स्व0 श्री नाथु निवासी ईदगाह कॉलोनी, चौरसियावास रोड, अजमेर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 40/2023 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रतियाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट की नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

15/2/23

(कालूराम रावत)
उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांक: 313-16 दिनांक 15.2.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अजमेर।
2. शासन उप सचिव, कार्मिक (क-3/शिकायत) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, इन्टें, अजमेर।

15/2/23

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।